न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

(समक्ष:- वीरेन्द्र सिंह राजपुत)

प्रकरण क्रमांक 110 / 2012 सत्रवाद संस्थिति दिनांक 09.04.2012 मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मालनपुर जिला भिण्ड म०प्र०।

-अभियोजन

बनाम

- वीरसिंह पुत्र भागीरथसिंह तोमर, उम्र ४२, निवासी ग्राम झावलपुरा, हाल निवासी- वार्ड क्रमांक 2 मौ रोड गोहद, जिला भिण्ड म०प्र0
- छविरामसिंह पुत्र रामज्ञान प्रजापति, उम्र 26 वर्ष, निवासी 2. ऐचाया रोड वार्ड क. 4 गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.
- बेदराम कुशवाह पुत्र बलवंतसिंह कुशवाह, उम्र 46 वर्ष, 3. निवासी वार्ड क. 5 जेल के पास गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
- ALINATA PARATA SUN रमेश पुत्र दुर्जनसिंह जाटव, उम्र 30 वर्ष, निवासी पुराना 4. घनश्यामपुरा वार्ड क. 1 कन्याशाला के पीछे गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.
 - श्यामविहारी पुत्र रामस्वरूप शर्मा, उम्र 59 वर्ष, निवासी चक 5. बरथरा, भटेलें वाली गली वार्ड न. 15 गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद कुमारी शैलजा गुप्ता के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क0 112/2012 इं०फौ० से उदभूत यह सत्र प्रकरण क0 110/2012 शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर। अभियुक्तगण की ओर से श्री एन.पी.कांकर, श्री पी०के०वर्मा एवं श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्तागण

∕ नि=र्ण-य / / //आज दिनांक 12-05-2017ं को घोषित किया गया//

प्रकरण में आरोपीगण पर दिनांक 15.06.2010 या उसके करीब ग्राम टुडीला थाना मालनपुर में सेवा 01. सहकारी संस्था जिसके कि आरोपी वीरसिंह अध्यक्ष, श्यामविहारी सेल्समेन, वेदप्रकाश ड्राइवर तथा रमेश व छविराम पल्लेदार के रूप में थे के द्वारा उचित मूल्य की दुकान के जर्ये गरीबों को बाटे जाने वाले गेंहूँ, शक्कर न्यस्त कर दो क्विंटल गेंहूँ व ढाई क्विंटल शक्कर का दुर्विनियोग करने एवं बेईमानीपूर्वक गरीबों को बाटे जाने वाले उक्त गेंहू व शक्कर को परिदान करने के लिए जो कि उचित मूल्य की दुकान ग्राम टुडीला की थी को प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरित करने एवं आवश्यक वस्तु गेंहूँ व शक्कर जो कि सार्वजिनक वितरण प्रणाली का था उसे वास्तविक लोगों तक नहीं पहुँचने देने के संबंध में आरोपीगण पर भा०द०वि० की धारा 409, 420 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का आरोप है।

- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि तत्कालीन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गोहद श्री 02. आर.एस.भदौरिया द्वारा एक लेखीय आवेदनपत्र कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी गोहद राजस्व से ग्राम टुडीला स्थिति सेवा सहकारी संस्था के अध्यक्ष वीरसिंह, सेल्समेन श्यामविहारी शर्मा, चालक वेदराम व पल्लेदार रमेश व छविराम के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने बावत् निर्देशित किया, जिसमें कि टुडीला की उचित मूल्य की दुकान पर गडवडी होने की शिकायत मिलने पर अपर तहसीलदार वृत्त एण्डोरी से जॉच कराई गई। दौराने जॉच दुकान बंद पाई गई और पंचों के समक्ष दुकान का ताला तोडकर जॉच की गई, जिसमें 50-50 किलो की 6 वोरियॉ एवं एक आधी बोरी गेंहूँ की, एक तराजू, 5 किलो का बांट, 47 बोरिया खाली पाई गई, मौके पर उपस्थित लोगों के कथन लेखबद्ध किए गए एवं हितग्राहियों के राशनकार्डों की जप्ती की गई। तत्पश्चात् अपर तहसीलदार के न्यायालय में लीड प्रभारी आदिराम अटल, सचिव श्यामबिहारी शर्मा, ट्रेक्टर चालक श्री वेदराम, व पल्लेदार रमेश व छविराम के कथन लेखबद्ध किए गए, जिनके द्वारा दिए गए कथन परस्पर विरोधाभासी होने पाए गए। जिस पर से जॉच उपरांत यह पाया कि आरोपीगण वीरसिंह सोसायटी अध्यक्ष, सेल्समेन श्यामविहारी शर्मा एवं चालक वेदराम व पल्लेदार रमेश व छविराम के द्वारा मार्केटिंग सोसायटी गोहद द्वारा दो क्विंटल गेंहूँ व ढाई क्विंटल शक्कर जो ग्राम टुडीला के गरीबों को दिया जाना था, को खयानत कर एवं शासन तथा हितग्राहियों को धोका देकर ब्लेक कर दिया जाना पाये जाने से उक्त सभी के विरुद्ध भा.द.वि की धारा 409, 420 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बावत् निर्देशित किया गया
- 03. जिस पर से पुलिस थाना मालनपुर के द्वारा दिनांक 26.06.2010 को आरोपी वीरिसंह, श्यामविहारी शर्मा, वेदराम, रमेश व छविराम के विरुद्ध अप०क० 74/10 अंतर्गत धारा 409, 420 भा.द.वि एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोगपत्र अधीनस्थ जे.एम.एफ.सी न्यायालय गोहद में

प्रस्तुत किया गया जो कि किमट उपरांत माननीय सन्न न्यायालय के आदेशानुसार इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ है।

- 04. वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपीगण के विरुद्ध धारा 409, 420 भा0द0सं0 व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढ़कर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार कर विचारण चाहा। तत्पश्चात् अभियोजन की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने के लिये साक्षी आर.एस.भदौरिया अ0सा01, धर्मेन्द्रसिंह अ0सा0 2, सुन्दरसिंह अ0सा0 3, लालसिंह अ0सा0 4, रामसुजान अ0सा0 5, वासुदेव अ0सा0 6, सुलेमान अ0सा0 7, अंतराम अ0सा0 8, कैलाशी बाई अ0सा0 9, कोकसिंह अ0सा0 10, मातादीन अ0सा0 11, किलयान अ0सा0 12, प्रहलाद अ0सा0 13, प्रीतम अ0सा0 14, आत्माराम शर्मा अ0सा0 15, नीना गौर अ0सा0 16, सुरेश शर्मा अ0सा0 17 एवं सर्वेश कुमार अ0सा0 18 का परीक्षण कराया गया।
- 06. इस प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते है-
 - 1. क्या दिनांक 15.06.2010 को आरोपी वीरसिंह सेवा सहकारी संस्था ग्राम दुडीला का अध्यक्ष, श्यामविहारी सेल्समेन, वेदप्रकाश ड्राइवर तथा आरोपी रमेश व छविराम पल्लेदार के रूप में कार्यरत थे?
 - वया उक्त दिनांक समय स्थान या उसके आसपास आरोपीगण ने उनको न्यस्त गेंहूँ एवं शक्कर के संबंध में दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास मंग किया?
 - 3. क्या उक्त दिनांक समय स्थान या उसके आसपास आरोपीगण ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम दुडीला को न्यस्त की गई शक्कर एवं गेंहूं के संबंध में छल किया?
 - 4. क्या उपरोक्त दिनांक समय स्थान या उसके आसपास आरोपीगण ने गेंहूँ एवं शक्कर जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का था को वास्तविक लोगों तक न पहुँचाकर स्वयं उयोग कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया?

5. दण्डादेश यदि कोई हो?

।। साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष ।।

बिन्दु क्रमांक ०१ लगायत ०५ :-

- 07. साक्ष्य की सुगमता एवं पुनरावृत्ति से बचने हेतु सभी विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 08. प्रकरण में घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट आर.एस. भदौरिया अ०सा० 1 आपूर्ति अधिकारी के द्वारा थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। यदि इस संबंध में साक्षी आर.एस. भदौरिया अ०सा० 1 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह दिनांक 26.06.2010 को गोहद में खनिज आपूर्ति अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद के द्वारा थाना प्रभारी मालनपुर को पत्र कमांक 1093 दिांक 17.06.2010 के द्वारा उसे आरोपीगण के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आदेशित किया था उस पत्र के आधार पर उसने आरोपीगण के विरूद्ध थाना मालनपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी तथा उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे।
- 09. घटना के संबंध में रिपोर्टकर्ता साक्षी आर.एस. भदौरिया अ0सा0 1 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसे अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह पत्र वाहक के रूप में थाने पर रिपोर्ट करने गया था। यहाँ तक कि वह किसी आरोपी को भी नहीं जानता है तथा अपराध के बारे में एवं प्रकरण के बारे में उसे व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं है। अतः साक्षी के कथनों से यह दिशत होता है कि यह साक्षी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद के निर्देश पर केवल प्राथमिकी दर्ज कराने थाने पर पहुँचा है, इसके अलावा इस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपराध के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और न ही इस साक्षी के द्वारा किसी प्रकार की कोई जॉच की गई।
- 10. प्रकरण में अभियोजन की ओर से यह आधार लिया गया है और इस संबंध में एक जॉच रिपोर्ट प्र. पी. 24 अपर तहसीलदार गोहद ने प्रस्तुत की गई है और इस संबंध में साक्षी नीना गौर अ0सा0 16 के कथन कराए गए है, जिनमें यह तथ्य आया है कि अनुविभागीय अधिकारी गोहद के मौखिक आदेश पर टुडीला में उचित मूल्य की दुकान पर जॉच की गई थी और एस.डी.एम के फोन पर निर्देश के बाद दुकान का ताला पंचों के समक्ष तोड़ा गया

था और वहाँ छः 50–50 किलो की वोरियाँ तथा एक 30 किलो की आधी तथा 46 खाली वोरे तथा तराजू और बांट मिले थे और उसी समय मौके पर उपस्थित पंचों के समक्ष पंचनामा बनाया गया था और लोगों ने राशनकार्ड प्रस्तुत किए थे। इस संबंध में जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा मौके पर मिले व्यक्तियों के कथन लेख किए गए थे। प्रकरण में जॉच में लए गए कथन प्र.पी. 3 लगायत प्र.पी. 19 प्रस्तुत किए गए है। इसी प्रकार मौके पर बनाया गया पंचनामा प्र.पी. 2 भी प्रस्तुत किया गया है।

- 11. प्रकरण में अभियोजन की ओर से साक्षी धर्मेन्द्र अ०सा० 2, वर्दीसिंह अ०सा० 3, लालसिंह अ०सा० 4, रामसुजान अ०सा० 5, वासुवेव अ०सा० 6, सुलेमान अ०सा० 7, अंतराम अ०सा० 8, कैलाशीबाई अ०सा० 9, कोकसिंह अ०सा० 10, मातादीन अ०सा० 11, किलयान अ०सा० 12, प्रहलाद अ०सा० 13 एवं प्रीतम अ०सा० 14 के परीक्षण कराया है। इन साक्षियों ने अपने राशनकार्ड प्रकरण में संलग्न होने संबंधी तथ्य को स्वीकार किया है, किन्तु शासकीय उचित मूल्य की दुकान टुडीला में राशन मिलने अथवा किसी प्रकार की जॉच होने के तथ्य से स्पष्ट इन्कार किया है। कुछ साक्षियों ने यह आधार लिया है कि उनके कार्ड जब वह दुकान गए थे गिर गए थे, कुछ का स्पष्टीकरण यह है कि उनके राशनकार्ड जमा कर लिए थे, जबिक कुछ का स्पष्टीकरण यह है कि उनके परिवार वालों ने जमा करा दिया होगा, किन्तु साक्षियों ने पुलिस को वयान देने, जॉच के दौरान कार्ड जमा करना और राशन न मिलने के तथ्य को स्वीकार नहीं किया है। उक्त सभी साक्षियों को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया है और सूचक प्रश्नों के माध्यम से अभियोजन कथानक इन साक्षियों के समक्ष रखा गया है, किन्तु उसके उपरांत भी इन साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।
- 12. प्रकरण में विवेचना के दौरान साक्षी सुरेश शर्मा अ०सा० 17 के द्वारा केवल साक्षियों के कथन अभिलिखित किये गए है, किन्तु अभियोजन साक्षी जिस प्रकार के कथन साक्षी लिये जाना अभिकथित करता है, उस प्रकार के कथन दिए जाने का अभियोजन साक्षियों ने समर्थन नहीं किया है। साक्षी आत्माराम शर्मा अ०सा० 15 के द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया है एवं साक्षी मनीष का कथन लेख किया गया है। प्रकरण में साक्षी सर्वेश कुमार अ०सा० 18 जो कि तत्कालीन समय तहसीलदार गोहद के पर पदस्थ थे अपने समक्ष आरोपी वीरसिंह एवं श्यामविहारी के हस्ताक्षर नमूना कराए जाने संबंधी तथ्यों का समर्थन किया है।
- 13. प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने दर्ज कराई गई प्राथमिकी के संबंध में प्रथक से कोई विवेचना की हो ऐसा दर्शित नहीं होता है और प्रकरण में प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट के आधार पर अभियोगपत्र प्रस्तुत किया है।

अभियोजन की ओर से उचित मूल्य की सहकारी दुकान टुडीला में शक्कर एवं गेंहूँ के संबंध में दुर्विनियोजन करने का आरोपीगण का आरोप है और घटना दिनांक को जब साक्षी नीना गौर जॉच करने गई तो उक्त वस्तुस्थिति पाई, किन्तु यदि प्रकरण में उपलब्ध समस्त साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो प्रकरण में शासकीय उचित मूल्य की दुकान टुडीला में उस समय कितना गेंहूँ व शक्कर स्टोक में थी, इस संबंध में न तो कोई दस्तावेज एकतृत किए है और न ही किसी साक्षी के कथन लिये गए है, यहाँ तक कि लीड संस्था के भी उचित मूल्य की दुकान टुडीला को जारी राशन व रिकार्ड जप्त नहीं किया है। ऐसी स्थिति में घटना दिनांक को जबिक जॉच किया जाना दर्शाया है, शासकीय उचित मूल्य की दुकान टुडीला में स्टोक में कितना गेंहूँ व शक्कर होनी चाहिए थी संबंधी निष्कर्ष निकाले जाने के लिए कोई दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं है।

- 14. साक्षी नीना गौर अ०सा० 16 के इस आशय के कथन रहे है कि ताला तोड़ने के बाद उन्हें दुकान में 50—50 किलो की 6 वोरियाँ तथा 30—30 किलो की दो वोरियाँ मिली थी, किन्तु इस साक्षी के कथनों में एवं जॉच रिपोर्ट में यह तथ्य नहीं आया है कि परीक्षण के समय कितनी शक्कर और गेंहूँ दुकान में होना चाहिए था। यह स्वभाविक सी स्थिति है कि दुकान में वर्तमान स्टोक कितना है, कितना बिक्रय हो गया और कितना शेष रहना चाहिए। यह स्टोक रिजस्टर के आधार पर ही ज्ञात किया जा सकता है। प्रकरण में ऐसी भी परिस्थितियाँ नहीं है कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान में इस प्रकार का कोई स्टोक रिजस्टर नहीं रखा जाता है, किन्तु यदि प्रकरण का अवलोकन किया जाए तो ऐसा कोई स्टाक रिजस्टर प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है, केवल प्रकरण में एक रिजस्टर जिसे वितरण रिजस्टर होना दर्शाया गया है प्रस्तुत है। हालांकि इस दस्तावेजों को न तो आर्टीकल के रूप में चिन्हित किया गया है और न ही प्रदर्श के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रकरण में आर्टीकल 1 लगायत 9 के राशनकार्ड प्रकरण में संलग्न है, किन्तु राशनकार्ड धारियों ने इन तथ्यों का समर्थन नहीं किया है कि उन्हें गेंहूँ, शक्कर नहीं मिली।
- 15. प्रकरण में अभियोजन की ओर से हस्तिलिप विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, किन्तु अभियोजन की ओर से इस रिपोर्ट को प्रदर्शित नहीं कराया गया है। हालांकि रिपोर्ट के साथ संलग्न नमूना हस्ताक्षरों को अभियोजन की ओर से प्रदर्शित कराया गया है और रिपोर्ट उक्त दस्तावेजों के साथ संलग्न है। उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया जाए तो उक्त दस्तावेजों पर प्र.पी. 26 लगायत 31 के दस्तावेज आरोपी श्यामविहारी शर्मा के नमूना हस्ताक्षर है। इसी प्रकार प्र.पी. 32 लगायत 37 आरोपी श्यामविहारी के नमूना हस्ताक्षर है।

इसके साथ ही प्रकरण में आरोपी वीरसिंह की नमूना हस्तिलिपि भी संलग्न है। एफ.एस.एल की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में आरोपी वीरसिंह एवं आरोपी श्यामविहारी के जो हस्तिक्षर प्रश्नगत दस्तावेजों से मिलान के लिए भेजे गए थे, उसमें विशेषज्ञ वैज्ञानिक द्वारा हस्तिक्षर नमूना व हस्तिलिपि के संबंध में निश्चित अभिमत नहीं दिया था और इस आशय की अपेक्षा की थी कि आरोपीगण के और नमूना हस्तिक्षर एवं हस्तिलिपि की आवश्यकता है, किन्तु विवेचना अधिकारी द्वारा एफ.एस.एल. रिपोर्ट की अपेक्षा के अनुसार और नमूना हस्तिक्षर, हस्तिलिपि एकतृत कर भेजे है ऐसा विवेचनाधिकारी का कहना नहीं रहा है और न ही प्रकरण में ऐसा कोई दस्तिविज प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रकरण में जिन दस्तिवेजों में अभियोजन की ओर से आरोपी वीरसिंह की हस्तिलिपि एवं आरोपी श्यामविहारी शर्मा के हस्तिक्षर होने संबंधी आधार लिए है उनकी निश्चितता के संबंध में विशेषज्ञ की कोई साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है।

- 16. प्रकरण मूलतः साक्षी नीना गौर अ०सा० 16 की रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया है, किन्तु इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने अपने कथनों में स्वीकार किया है कि उसने जॉच के दौरान साक्षियों के कथन लिए थे और उक्त कथनों में विरोधाभास था, इसी कारण उसे शक उत्पन्न हुआ था। इस साक्षी का यह भी कहना रहा है कि उसने लीड संस्था के असल रिकार्ड और कागज जप्त नहीं किए थे। यहाँ तक कि इस साक्षी का यह भी कहना रहा है कि उसने प्र.पी. 24 के प्रतिवेदन के साथ ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया था जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आरोपी रमेश, वेदराम व छविराम दोषी है।
- 17. प्रकरण में आरोपीगण पर न्यस्त सम्पत्ति के दुर्विनियोजन का आरोप है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से कथनों में यह तथ्य तो आया है कि कितनी शक्कर और कितना गेंहूँ जॉच के दौरान दुकान में पाया गया, किन्तु कितनी शक्कर और कितना गेंहूँ सहकारी उचित मूल्य की दुकान टुडीला को न्यस्त किया गया था इस संबंध में न तो साक्षियों के कथनों में कोई तथ्य आया है और न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज जप्त कर प्रस्तुत किये गए है और न ही यह निष्कर्ष निकाले जाने के लिए रिकार्ड पर किसी प्रकार की साक्ष्य उपलब्ध है कि आरोपीगण को कितना गेंहूँ व शक्कर न्यस्त की गई थी।
- 18. जिन लोगों को शक्कर और गेंहूँ न मिलने का आधार जॉच में लिया गया है, उन साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। ऐसा दर्शित होता है कि प्रकरण केवल साक्षी नीना गौर अ०सा० 16 के मात्र संदेह उत्पन्न होने के कारण तैयार किया गया है, जबिक अभियोजन प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपित कृत्य प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

- परिणामतः आरोपीगण वीरसिंह, श्यामविहारी, वेदराम, छविराम व रमेश को भा.द.वि. की धारा 409,
 परिणामतः आरोपीगण वीरसिंह, श्यामविहारी, वेदराम, छविराम व रमेश को भा.द.वि. की धारा 409,
 परेणामतः आरोपीगण वीरसिंह, श्यामविहारी, वेदराम, छविराम व रमेश को भा.द.वि. की धारा 409,
 परेणामतः आरोपीगण वीरसिंह, श्यामविहारी, वेदराम, छविराम व रमेश को भा.द.वि. की धारा 409,
- 20. आरोपीगण जमानत पर है, उसके जमानत, बॅधपत्र एवं मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।
- 21. आरोपीगण को निर्णय की प्रति निशुल्क प्रदान की जावे तथा अपर लोक अभियोजक के माध्यम से निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड को भेजी जावे ।
- 22. प्रकरण में संलग्न हितग्राहियों के राशनकार्ड अपील अवधि पश्चात् उन्हें बापस किये जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।
- 23. आरोपीगण का धारा 428 द.प्र.सं के अंतर्गत निरोध प्रमाण-पत्र तैयार कर प्रकरण के साथ संलग्न किया जावे।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया) मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

राजपूत) (वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
यायाधीश,गोहद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,गोहद
निप्पण) जिला भिण्ड (मण्णण)